

FORM-1
(For linear of project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, New Tehri

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pl) dated 3rd August 2009 Wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA For short) on the forest land Proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013. Wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **1.47 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Pro. Div. P.W.D. New Tehri** (name of user agency) for **Kaintholi Naikhri Motor Road** (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal District falls within jurisdiction of KARAS Village(s) in **Jakhnidhar** tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.47 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s) Gram Sabha(s) sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure 2.

(b) The Diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

(युगल किशोर पन्त)
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)**


Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Shri Yugal Kishor Pant I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in Jakhnidhar Block area measuring 1.47 Hectare for the construction of Kantholi to Nakhri motor road in Tehsil Jakhnidhar of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of Jakhnidhar Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

Place :- Tehri

Date : 6-12-2014


District Collector Cum chairman
District Tehri Garhwal
New Tehri गढ़वाल

परियोजना का नाम :- प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग नई टिहरी के अन्तर्गत कैथोली से नैखरी मोटर मार्ग के निर्माण के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि का वन विभाग को भूमि हस्तान्तरण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी जाखणीधार
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006
के तहत प्रमाण पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति
टिहरी।

उपखण्ड टिहरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत खण्डोगी आरक्षित वनभूमि 1.47 है० का वन विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील जाखणीधार की दिनांक 11.11.14) को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री आशिष कुमार रिपाड़ा उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | |
|----|--|---|----------|
| 1- | श्री <u>आशिष कुमार रिपाड़ा</u> उपजिलाधिकारी टिहरी | - | अध्यक्ष। |
| 2- | उप प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी | - | सदस्य। |
| 3- | सहायक समाज कल्याण अधिकारी, जाखणीधार | - | सदस्य। |
| 4- | श्री <u>राजेश कुमार देवी</u> प्रधान ग्राम पंचायत <u>करास</u> | - | सदस्य। |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों की अवगत कराया गया है कि कैथोली से नैखरी मोटर मार्ग के निर्माण परियोजना हेतु 1.47 है० वनभूमि वन विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव मा० सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्रामसभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया है कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम/पंचायत द्वारा आपत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड टिहरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत कैथोली से नैखरी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 1.47 है० वन भूमि वन विभाग एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर हस्तान्तरित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील जाखणीधार टिहरी गढवाल

प्रतिलिपि— जिलाधिकारी टिहरी गढवाल नई टिहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील जाखणीधार टिहरी गढवाल

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत कैथोली से नैखरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- करास
तहसील - जाखणीधार, जिला - टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत कैथोली से नैखरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि 1.05 है०, सिविल सोयम भूमि 0.42 है० एवं वन पंचायत भूमि 0.00 है०) अर्थात् कुल 1.47 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत करास द्वारा दिनांक 05.11.14 को सम्मन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम करास के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत करास अधिकारी
(विहरी गढ़वाल)

हस्ताक्षर
ग्राम सचिव

गीता देवी
हस्ताक्षर
प्रधान

नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रो. डी. सत्यप्रताप
सहायक जमीन
ग्रामीण खण्ड लो० वि०
नई टिहरी

जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत कैथोली से नैखरी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु अनापत्ति के सम्बन्ध में प्रधान ग्राम पंचायत की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत करास की बैठक दिनांक 05-11-014 कार्यवृत्त।

आज दिनांक 05-11-014 को ग्राम पंचायत करास की बैठक में कैथोली से नैखरी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु अनापत्ति दिये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि इस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति या आदिवासी निवास नहीं करते हैं। इनके द्वारा क्षेत्र में किसी प्रकार की भूमि पर कृषि कार्य भी नहीं किया जाता है। इस क्षेत्र में कोई इस प्रकार के निवासी नहीं हैं जो वनों में निवास करते हों। इस सड़क निर्माण से अनुसूचित जनजाति या आदिवासी वन निवासी के हित किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

सर्वसम्मति से सरकार से इस क्षेत्र के विकास हेतु कैथोली से नैखरी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु अनापत्ति दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रधान
ग्राम पंचायत



प्रपत्र -23.01

दिनांक ०५.११.१५ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम :- कराहा

तहसील - जाखणीधार, जिला - टिहरी गढ़वाल

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	बन्धु सिंह पंवार	Bhander Singh
②	नारायण सिंह पंवार	Narayan Singh
③	रमेश उपाध्याय	Ramesh
④	जगवान सिंह पंवार	Jagwan Singh
⑤	बन्धु सिंह ढोरा (11)	Bhander Singh
⑥	उमेश सिंह पंवार	Umesh Singh
⑦	भुर्ग सिंह पंवार	Bhurg Singh
⑧	आनन्द सिंह पंवार	Anand Singh
⑨	भुन्द सिंह पंवार	Bhund Singh
⑩	देवेन्द्र सिंह पंवार	Devendra Singh
⑪	अजित उपाध्याय	Ajith
⑫	कुन्दन सिंह पंवार	Kundan Singh
⑬	बुबसी दास	Bubsey Das
⑭	सैकन्तु दास	Saikantu Das

- ⑮ धामो सिंह
 ⑯ सुरत सिंह सरा सिंह
 ⑰ धिरु किराण
 ⑱ सोवत किराण
 ⑲ विधवार

मो. 971 244 1111
 सहायक प्रमियन्ता
 बान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
 नई टिहरी

